अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2018 को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2018 को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की ब्रिफिंग की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी में संधारित।

कार्यवाही

सर्वप्रथम बैठक में इन्टरमीडिएट परीक्षा 2018 को शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 21.02.2018 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी, 2018 को सम्पन्न होगा। निदेशित किया गया कि इन्टरमीडिएट परीक्षा की भांति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा को भी शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित सम्पन्न करायें। चूंकि इस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र/छात्रा में सम्मिलित होंगे इसलिए काफी सावधानी बरतने तथा गंभीरता से दायित्वों का निर्वहन किया जाना आवश्यक है। पुलिस उपाधीक्षक(मु0) द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, बक्सर पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु बाहर गये हैं। सभी दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव, पुलिस उपाधीक्षक(मु0) एवं अन्य पदधिकारियों के द्वारा परीक्षा आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को माध्यमिक परीक्षा 2018 को शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित सम्पन्न कराने के संदर्भ में निम्न निदेश दिये गये :–

(i) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा प्रतिदिन पूर्वाह्न 9.30 बजे एवं अपराह्न 2.00 बजे से प्रारम्भ होगा परन्तु परीक्षा समाप्त होने का समय विषयवार अलग–अलग है। अतः परीक्षा केन्द्रों पर ससमय पहुँच जायें।

(ii) माध्यमिक परीक्षा में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव यह है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट पहले तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अर्थात् यदि 9.30 बजे परीक्षा प्रारम्भ होती है तो 9.20 बजे बाद परीक्षार्थियों परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह 2.00 के परीक्षा में 1.50 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी इसका प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश सिर्फ 21.02.2018 के लिए प्रभावी नहीं होगा क्योंकि सभी परीक्षार्थियों को ससमय सूचना प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में कठिनाई होगी, परन्तु दिनांक 22.02.2018 से इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित होगा। दिनांक 21.02.2018 को आधा घण्टा विलम्ब तक आने वाले परीक्षार्थियों को अनुमति दी जा सकेगी।

(iii) दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि छात्रों का गेट पर फ्रिस्किंग सुनिश्चित करायेंगे। छात्राओं की फ्रिस्किंग महिला पुलिस/शिक्षिकाओं के माध्यम से कराई जाय।

(iv) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाईल के उपयोग पर पांबदी है। यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई छात्र/वीक्षक या अन्य कर्मी परीक्षा केन्द्र में मोबाईल लेकर प्रवेश नहीं करें।

(v) निदेशित किया गया कि वीडियोग्राफर की भी परीक्षा केन्द्र पर फ्रिस्किंग कर लेंगे ताकि कदाचार की किसी भी संभावना को समाप्त की जा सके।

(vi) परीक्षा केन्द्रों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(vii) यदि कोई वीक्षक कदाचार कराते हुए पाया जाता है अथवा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेंगे।

(viii) दण्डाधिकारियों के अनुरोध के आलोक में सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर छात्राओं की संख्या अधिक है, वहाँ एक ए0एन0एम0 की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही बक्सर एवं डुमरांव अनुमण्डल के लिए अलग–अलग एम्बुलेंस पूरी तैयारी अवस्था में प्रतिनियुक्त करेंगे। बक्सर में बक्सर हाई स्कूल तथा डुमरांव में राज हाई स्कूल के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(ix) निदेशित किया गया कि सी0सी0टी0वी0 कैमरा के चालू होने की जाँच करा लेंगे। यदि कोई खराबी होती है तो केन्द्राधीक्षकों को सूचित कर मरम्मति करा लेंगे।

(x) कदाचार रहित परीक्षा आयोजन हेतु प्रत्येक कक्ष में दो वीक्षकों की प्रतिनियुक्त की जाएगी। भले ही छात्रों की संख्या कम हो।

(xi) परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी वाहन को खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा पाया जाता है कि उसकी जांच करें तथा उक्त दायरे से शांतिपूर्ण तरीके से उक्त वाहन को हटा देंगे।

(xii) निदेशित किया गया कि माध्यमिक परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन कराये जाने हेतु निर्गत संयुक्त आदेश के सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 10–0614 / गो0, बक्सर, दिनांक 21/02/2018

प्रतिलिपि :– सभी दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा बक्सर/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव/पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, बक्सर/नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर